



प्रेस विज्ञप्ति

03.07.2026

एक अभूतपूर्व पहल के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 01.07.2026 को एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से एक विमान (हॉकर 800ए) की 3 करोड़ रुपये के विक्रय मूल्य पर सफलतापूर्वक नीलामी की है।

उक्त विमान (हॉकर 800ए) को ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय द्वारा 07.03.2025 को संचालित तलाशी अभियान के दौरान अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दर्ज मामले में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब्त किया गया था।

विमान की जब्ती के उपरांत ईडी ने माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए) के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 18.08.2025 के आदेश द्वारा पुष्टि प्रदान की गई। इसके पश्चात ईडी ने धन शोधन निवारण (न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई कुर्क अथवा फ्रीज संपत्तियों का कब्जा ग्रहण करना) नियम, 2013 के नियम 4(2) के अंतर्गत जब्त विमान की बिक्री की अनुमति हेतु माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए) ने दिनांक 20.11.2025 के आदेश द्वारा ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय को उक्त जब्त विमान की नीलामी करने की अनुमति दी।

ईडी ने हैदराबाद स्थित कंपनी मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड (जो फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग योजना संचालित कर रही थी), उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमरदीप कुमार तथा अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच प्रारंभ की। यह जांच फाल्कन समूह (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड), उसके सीएमडी अमरदीप कुमार एवं अन्य के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), साइबराबाद द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई। आरोप है कि अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य ने इनवॉइस डिस्काउंटिंग योजना के नाम पर निवेशकों को अधिक प्रतिफल देने का झांसा देकर लगभग 792 करोड़ रुपये की पोंजी योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेशकों से धोखाधड़ी की, जबकि वास्तव में कोई इनवॉइस डिस्काउंटिंग व्यवसाय संचालित ही नहीं किया जा रहा था।

इससे पूर्व ईडी द्वारा तीन आरोपियों— (1) अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार, (2) चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोष्णीवाल तथा (3) फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आर्यन सिंह छाबड़ा — को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी द्वारा 29.09.2025 को अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की जा चुकी है।

विमान की नीलामी से प्राप्त होने वाली 3 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार तथा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) की अनुमति के अधीन, वास्तविक निवेशकों को प्रतिकर (Restitution) प्रदान करने के लिए किया जाएगा।



ईडी अपराध से अर्जित आय की पहचान, उसका पता लगाने, कुर्की एवं समपहरण सुनिश्चित करने, अपराधियों को उससे लाभ प्राप्त करने से रोकने, आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने तथा विधि के अनुरूप कुर्क की गई परिसंपत्तियों को वास्तविक पीड़ितों/निवेशकों को वापस दिलाने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

विमान हॉकर 800 ए का चित्र

